छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 04/2006</u>

श्री जन्मेजय सोना,
अधिवक्ता,
निवासी–गली नं0 1,
बूढ़ेश्वर मंदिर के पीछे,
ब्रम्हपुरी, थाना–पुरानी बस्ती,
तह0 व जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) .... आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद्, (स्कूल शिक्षा
विभाग, छ.ग.शासन)
शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अनावेदक

:: आदेश ::
(दिनांक 03 अक्टूबर 2006)

श्री जन्मेजय सोना, निवासी–रायपुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर के द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदक के द्वारा वांछित सूचनाएँ उपलब्ध न कराने के कारण शिकायत प्रस्तुत की। आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसने दिनांक 25–11–2005 को जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर जानकारी चाही थी कि कक्षा–पहली से आठवीं तक शिक्षा सत्र 2004–2005 में पाठ्यपुस्तक के मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण हेतु बुलाई गई निविदा के अनुसार निःशुल्क वितरण हेतु आपूर्ति आदेश एवं बाजार में विक्रय हेतु सभी प्रकाशकों को विभिन्न तिथियों में आपूर्ति आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रदान की जावे। दिनांक 10–11–2005 को जन सूचना अधिकारी के द्वारा शिकायतकर्ता को निःशुल्क वितरण हेतु दिये गये 3 आदेशों दिनांक 9–7–2004, 4–9–2004 एवं 8–9–2004 की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई। आवेदक के द्वारा पुनः दिनांक 14–11–2005 को आवेदन दिया गया कि बाजार में विक्रय हेतु प्रकाशकों को दी गई आपूर्ति आदेश की प्रतिलिपि भी उपलब्ध कराई जावे। शिकायतकर्ता ने उक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरुप शिकायत की।

2/ आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर को नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 25–5–2006 को आवेदक के द्वारा माँगी गई वांछित जानकारी 15 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये तथा जानकारी समयावधि में नहीं दिये जाने के फलस्वरुप जन सूचना अधिकारी को 15,000/– रूपए की शास्ति क्यों न आरोपित किया जावे, इसका नोटिस जारी किया गया। दिनांक 5–7–2006 को छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से श्री एल.एस.मराबी उपस्थित हुए, उन्होंने कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया तथा बतलाया कि प्रकरण श्री संजय कुमार ओझा के समय का है क्योंकि दिनांक 7–2–2006 तक श्री ओझा ही इस परिषद् के संचालक थे। अतः उन्हीं पर दण्ड आरोपित हो सकता है। आयोग के द्वारा श्री संजय कुमार ओझा वर्तमान में डायरेक्टर (एडमिनिस्ट्रेशन), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नईदिल्ली को 15,000/– रूपए अर्थदण्ड अधिनियम की धारा–20(1) के अंतर्गत क्यों न किया जावे का नोटिस जारी किया गया। श्री ओझा ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। उन्होंने बतलाया कि आवेदक के द्वारा 2 आपूर्ति आदेश की प्रति माँगी गई थी। आवेदक को निःशुल्क वितरण हेतु सभी प्रकाशकों को जारी आपूर्ति आदेश की प्रतिलिपि परिषद् के द्वारा प्रदान कर दी गई है। बाजार में विक्रय हेतु आपूर्ति आदेश की आपूर्ति संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया था, क्योंकि निविदा में यह स्पष्ट किया गया था कि प्रकाशक मुद्रक छत्तीसगढ़ राज्य में स्वंय के बुक स्टॉल अथवा वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से पुस्तक का विक्रय कर सकते हैं। बाजार में पाठ्य पुस्तक का विक्रय दर अनुबंध–पत्र के अनुसार ही होगा। उन्होंने यह बताया कि बाजार में विक्रय हेतु कोई आदेश जारी नहीं हुआ था। आवेदक को उसके द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध आपूर्ति आदेशों की छायाप्रति प्रदान कर दी गई तथा निविदा आवेदन पत्र शिक्षा सत्र 2004–2005 के परिशिष्ट की छायाप्रति प्रदान की गई। श्री ओझा के द्वारा जवाब में यह भी बतलाया कि आवेदक को इन सभी बातों की जानकारी थी, किन्तु उसके बावजूद उसके द्वारा अनावश्यक रुप से शिकायत की गई।

3/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं लिखित तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता के द्वारा यह जानकारी चाही गई थी तथा कार्यालय में जो उपलब्ध थी, वह उन्हें उपलब्ध करा दी गई है। आवेदक को यह भी संचालक के पद पर दिनांक 9–5–2006 एवं 6–6–2006 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि परिषद् कार्यालय से बाजार में आपूर्ति करने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। क्योंकि परिषद् के द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया अतः उसे उपलब्ध कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

4/ आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आवेदक के द्वारा वांछित जानकारी उसे निर्धारित अवधि में उपलब्ध करा दी गई है तथा चूंकि बाजार में विक्रय हेतु कोई आदेश जारी नहीं किया गया था तथा आवेदक को इसकी सूचना भी दे दी गई थी। अतः जानकारी उपलब्ध न कराने के लिए तत्कालीन संचालक श्री संजय कुमार ओझा तथा वर्तमान जन सूचना अधिकारी भी दोषी नहीं है। अतः श्री संजय कुमार ओझा के

विरुद्ध जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है। आवेदक की यह शिकायत अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त